

कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 1494-1498 / जी- 78(स्थानान्तरण-2024) / 2024-25

दिनांक- 08 जून 2024

आदेश


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार वर्ष 2024 में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण निदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित तैनाती स्थान से स्तम्भ-5 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जगपाल सिंह नेगी	मुख्य प्र०अधि०	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी टिहरी	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़।	जनहित-धारा 7 (ख)
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त	मुख्य प्र०अधि०	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी टिहरी	जनहित में धारा-10 (ख)
3	श्री सुरेन्द्र दत्त बिज्लवाण	वरिष्ठ प्र०अधि०	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी।	जनहित-धारा 7 (क)
4	श्री विजय सिंह विष्ट	वरिष्ठ प्र०अधि०	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी।	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	जनहित में धारा-10(ख)
5	श्रीमती रश्मि पुरोहित	प्रधान सहायक	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रुद्रप्रयाग।	जनहित-धारा 7 (क)
6	श्री जगदीशलाल	प्रधान सहायक	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रुद्रप्रयाग।	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	जनहित में धारा-10 (क)
7	श्री राजाराम विजलवाण	वरिष्ठ सहायक	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रुद्रप्रयाग।	जनहित-धारा 7 (क)
8	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी।	जनहित-धारा 7 (क)
9	श्री जगदीश पुरोहित	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रुद्रप्रयाग।	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	जनहित में धारा-10(क)
10	श्री दीपकराज सिंह विष्ट	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी।	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार।	जनहित में धारा-10(क)
11	श्री अनिल कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी वागेश्वर।	जनहित-धारा 7 (क)
12	श्री सुरेन्द्र कुमार वडोनी	कनिष्ठ सहायक	ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मसी हरिद्वार	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चम्पावत।	जनहित-धारा 7 (क)
13	श्री राहुल सेमवाल, अधि०	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अल्मोड़ा	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी।	जनहित में धारा-17(1) (ख) (सात)
14	श्री दिपेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी वागेश्वर।	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	जनहित में धारा-10(क)

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिक धारा-22(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(Handwritten Signature)
08/06/2024

4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।


(डा० विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1. सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धि जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।


(डा० विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक